फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

हनुमान बनाम रामनिवास वगैरह

मुकदमा नम्बर :– 181/2023 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/12/24	प.का. उपस्थित। साक्ष्य वादी हेतु समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 20/12/24 को पेश हो।	
	20/12/24	प. वादी उप. प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलाई गई। उनके बावजूद अनुपस्थित रहा। उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता वादी केलिये ही बहस हेतु नियत किया गया। साक्ष्य वादी का अवसर समाप्त किया जाकर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मौखिक रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर उप. नम्बर को कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

मुकदमा नं0:–18/2023

उनवान

हनुमान पुत्र सुण्डा, जाति अहीर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. रामनिवास पुत्र महादेव प्रसाद, जाति अहीर, निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–20.12.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू0अ0नि0 क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजी भूमि खसरा नम्बर 1197/3350 रकाब 0.20 है0, खसरा नम्बर 1219 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 1227/3347 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1244 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.41 है0 स्थित है जो सम्पूर्ण ही वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमियों में से आराजी खसरा नम्बर 1197/3350 रकबा 0.20 है0 ही प्रस्तुत वाद पत्र में विवादित भूमि है। वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात के पूर्वी ओर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1196, 1197, 1214, 1216, 1217 स्थित ळ तथा प्रतिवादी संख्या 1 का वादी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1197/3350 में कुए के पास स्थित पूर्वी दिशा का पडौसी खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन वादी की भूमि की सींव डोल में छेडछाड करता रहता है तथा वादी की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान करते रहते है व जबरिया वादी की भूमि पर सींव डोल फोडकर तथा जबरिया निर्माण कार्य कर कब्जां करना चाहता है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा आवारा पशुओ की सुरक्षा की दृष्टि से वादी द्वारा उक्त आराजीयात पर अपनी भूमि ... डोल बना रखी है। वादी विवादित आराजीयात का काबिज खातेदार ... कारण वादी को उपरोक्त आराजीयात का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी ...र का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि का पूर्वी दिशा की ओर का पडौसी है जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कारण प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन वादी की भूमि पर जबरिया कब्जा करने की नियत से सींव डोल, कच्ची डोल एवं सीमा चिन्हो में तोड–फोड करता रहता है तथा विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करता है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 23.01.2023 प्रतिवादी संख्या 1 विवादग्रस्त भूमि पर आकर वादी के कब्जे एवं स्वामित्व के शान्तिपूर्ण उपयोग में व्यवधान कारित किया गया तथा जबरिया वादी की सम्पत्ति में प्रवेश करने की नियत से उसकी भूमि में कायम सीमा चीन्ह् एवं कच्ची मिट्टी की डोल को क्षतिग्रस्त कर जबरिया वादी की भूमि पर कब्जे करने व निर्माण कार्य करने की नियत से मौके पर पत्थर, ईंटे व रेत डलवा दी तथा जबरिया निर्माण कार्य करने का प्रयास किया गया जिस पर वादी द्वारा विरोध किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को ऐलानियां धमकी दी गई कि वह शीघ्र ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल कर देगा तथा वादी को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देगा, जिसमें यदि वादी ने कोई आपत्ति की तो परिणाम अच्छा नहीं होगा जिस कारण श्रीमान्जी के समक्ष वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1, विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1197/3350 रकबा 0.20 है0 के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही विवादित भूमि पर बनी मिट्टी की कच्ची डोल को तोडे, ना ही सीमा चिन्हों को खुर्द–बुर्द करें, ना ही खड्डे खोदे, ना ही पोल गाडे, ना ही पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें। उक्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, कर्मचारी या वर्कमेन के जरिये करवायें अर्थात् मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी के जवाबदावा एवं साक्ष्य वादी बंद अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 1197/3350 रकबा 0.20 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.20 है0, भूमि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू0अ0नि0 क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–18/2023
उनवान– हनुमान बनाम रामनिवास
निर्णय दिनांक– 20.12.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–18/2023

उनवान

हनुमान पुत्र सुण्डा, जाति अहीर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. रामनिवास पुत्र महादेव प्रसाद, जाति अहीर, निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

मुकदमा नं0:–18/2023

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात आराजी खसरा नम्बर 1197/3350 रकबा 0.20 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.20 है0, भूमि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू0अ0नि0 क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्द किया जावें।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 20.12.2024 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:33 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत.........

ओहदा..........

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–18/2023
उनवान– हनुमान बनाम रामनिवास
निर्णय दिनांक– 20.12.2024

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner